संख्या-62/2016/388/22-4-16-119(ब)2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

आर0के0 दिवेदी
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 16 मई, 2016

विषय- जनपद न्यायालय फतेहगढ(फर्रूखाबाद) में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण हेतु संशोधित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8824/नम-2, दिनांक- 19 मार्च,2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- प्रकरण में शासनादेश संख्या-92/2015/403/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए),दि0-29.03.2015 एवं शासनादेश संख्या-112/2015/543/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए),दि0-12.05.2015 द्वारा 26 कारागारों एवं 24 जनपद न्यायालयों अर्थात कुल 50 यूनिट्स में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त यूनिट्स में जनपद न्यायालय, फतेहगढ (फर्रूखाबाद) में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु रू0 43.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 21.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। जनपद न्यायालय फतेहगढ (फर्रूखाबाद) में नया कक्ष निर्माण न कराकर पूर्व निर्मित कक्ष का ही सुदृढीकरण कराकर वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद न्यायालय फतेहगढ (फर्रूखाबाद) में वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना हेतु पूर्व निर्मित कक्ष के आवश्यक सुदृढीकरण हेतु रू0 12.23 लाख एवं वैकल्पिक कक्ष के साथ विश्राम कक्ष, स्टेनो कक्ष व शौचालय के निर्माण हेतु रू0 8.04 लाख अर्थात कुल रू0 20.27 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 21.75 लाख में से रू0 20.27 लाख के समायोजन की अनुमति प्रदान करते हैं। उक्त समायोजन के उपरान्त पूर्व निर्गत स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति रू0 21.75 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1.48 लाख राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेशों दिनांक 29.03.2015 एवं 12.05.2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। इन शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी। में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-62/2016/388(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in